झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–90 वर्ष 2018

शोभा देवी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. गीता देवी
3. बिनय पांडे .... विरोधी पक्ष।

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सुधाकर पांडे, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– ए0पी0पी0।

05/दिनांकः 9.7.2018 पार्टियों को सुना।

यह आवेदन आपराधिक अपील में विद्वान सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा दिनांक 28.11.2017 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है जिसके तहत एवं जिसके अधीन सिमरिया थाना काण्ड संख्या–102/2009 में न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चतरा द्वाराा पारित दोषमुक्त का निर्णय जिसमें विपक्षी पक्ष सं0–2 और 3 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया, को अभिपुष्ट किया गया है।

हालांकि याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा याचिकाकर्त्ता पर गर्म पानी डालने के कारण वह जल गई थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है

कि सबूत के समर्थन में न तो अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर कोई जख्म रिपोर्ट लाई गई थी और न ही डॉक्टर की परीक्षण की गई थी और वास्तव में जाँच अधिकारी की भी परीक्षण नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से पीड़ित और उसके निकट रिश्तेदारों के बयान पर भरोसा किया था, जिन्हें प्रकृति में पक्षपातपूर्ण माना जाता था और ऐसी परिस्थिति में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी ने ओ0पी0 2 और 3 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया था। अपीलीय अदालत ने अपील को खारिज करते समय इन पहलुओं पर भी विचार किया था।

अभियोजन पक्ष गर्म पानी डालने के आरोप के बारे में अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है क्योंकि न तो जख्म रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया गया था और न ही डॉक्टर की परीक्षण की गई थी और न ही जाँच अधिकारी की परीक्षण न होने के कारण घटना की जगह साबित हुई थी। पीड़ित और उसके रिश्तेदारों के साक्ष्य के आधार पर सजा पारित नहीं की जा सकती थी जो कि सभी हितबद्ध गवाह हैं। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, यह आवेदन विफल हो जाता है और इसे तद्नुसार खारिज कर दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)